



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122025-268216
CG-DL-E-04122025-268216

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5387]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

No. 5387]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5575(अ).— आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) (वारहवां) संशोधन आदेश, 2025 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्यात उक्त आदेश कहा गया है) में,-
(क) खंड 2 के उपखंड (थ) में, मद (9) केपश्यात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

"(10) अनुसूची 8 में शामिल संपीड़ित जैव गैस से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक के संबंध में, उक्त अनुसूची के संबंधित स्तंभ के अधीन उपवर्णितमानक।";

(ख) खंड 28 के, उप-खंड (1) में, प्रविष्टि (खंड) केपश्वात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,

"(खंड) अनुसूची 8 में अधिकथित नमूने लेने की प्रक्रिया के अनुसार किसी भी संपीड़ित कार्बनिक कार्बन वर्धक का नमूना लेगा:

परन्तु यह कि निरीक्षक, नमूने का व्यौरा प्ररूप "ज" में 2 प्रतियों में तैयार करेगा और उसकी एक प्रति उस व्यौहरीया उसके प्रतिनिधि को देगा जिससे नमूना लिया गया है;";

(ग) खंड 29 में,-

(i) उप-खंड (1ग) में, "भाग ग" शब्द और अक्षर के स्थान पर, "भाग घ" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(ii) उप-खंड (1ग) के पश्वात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1घ) किसी निरीक्षक द्वारा लिए गए कार्बनिक कार्बन वर्धक नमूनों का विश्लेषण क्षेत्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती केंद्र बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर और पंचकूला या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्रयोगशाला में अनुसूची 8 के भाग ग में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।";

(घ) खंड 29 क्षब के, आरंभिक भाग में,-

(i) "और अखाद्य तेल-रहित खली उर्वरक" शब्दों के स्थान पर, "अखाद्य तेल-रहित खली और संपीड़ित जैव गैस इकाइयों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "और (1ख)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, 'खंड 29' के (1ख) और खंड (1घ)" शब्द, कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) खंड 29 घ में,-

(i) पार्श्व के शीर्ष क में, "जैव उर्वरक" शब्दों के पश्वात्, "और संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-खंड 1 में,-

(क) "खंड 29 (1 क)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "खंड 29 के उप-खंड (1ख) और (1घ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) "जैव उर्वरक" शब्दों के पश्वात्, "संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक" शब्द रखे जाएंगे;

(च) खंड 30 में,

(i) उप-खंड (1) में, "और अखाद्य योग्या तेल रहित खली उर्वरको" शब्दों के स्थान पर, "अखाद्य तेल रहित खली और संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-खंड 2 की, मद (ख) में, "कार्बनिक उर्वरक" शब्दों के पश्वात्, शब्द "अखाद्य तेल रहित खली और संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) उप-खण्ड (8) में, "तीन दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीन कार्य दिवस" शब्द रखे जाएंगे।

(3) उक्त आदेश में,-

(क) अनुसूची 1-के भाग क के, शीर्षक "उर्वरकों के विनिर्देश" में,-

(अ) उप शीर्षक "1 (क) ऋतुनाइट्रोजनी उर्वरक" में, क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्,-

"13. यूरिया - एन-(एनब्यूटाइल) थायोफॉस्फोरिकट्रायमाइड (एनबीपीटी)

(i). भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	0.50
(i)भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन न्यूनतम	46.0
(iii)भार के आधार पर बाईयूरेट प्रतिशत, अधिकतम	1.42
(iv) भार के आधार परएन-(एनब्यूटाइल) थायोफॉस्फोरिकट्रायमाइड (एनबीपीटी)	
पीपीएम में,न्यूनतम	600 -900

(v)कण आकार: सामग्री का कण आकार ऐसा होगा की सामग्री का न्यूनतम 80 प्रतिशत 2.8 मि. मि. और 1 मि. मि. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा

(ख) उपशीर्षक "1(च) एन.पी.के.मिश्रित उर्वरक" में,-

(i). क्रम संख्या 21 यूरिया-एकल सुपरफॉस्फेट मिश्रितउर्वरकमें, मद (iii) में "अधिकतम" शब्दों के स्थान पर "न्यूनतम" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) क्रम संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँअंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्,-

"22. एनपीके 14:05:21

(i)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	2.0
(ii)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन न्यूनतम	14.0
(iii) 0	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन प्रतिशत न्यूनतम	7.0
(iv)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस (पी2:ओ5केरूपमें) प्रतिशत न्यूनतम	5.0
(v)	भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फोरस (पी2:ओ5केरूपमें) प्रतिशत न्यूनतम	1.0
(vi)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेशिय(के2ओकेरूपमें) प्रतिशत न्यूनतम	21.0
(vii)	भार के आधार पर सल्फेट सल्फर (एसकेरूपमें)प्रतिशत न्यूनतम	4.0
(viii)	भार के आधार पर कैल्शियम (सीए ओके रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	7.0
(ix)	भार के आधार पर मैग्नीशियम (एमजीओ के रूप में)प्रतिशत ,न्यूनतम	4.0

(x)	कण आकार :	सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।
-----	-----------	---

23. एनपीके 14:14:14

(i)	भार के आधार पर आद्रता प्रतिशत, अधिकतम	2.0
(ii)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन न्यूनतम	14.0
(iii)	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन प्रतिशत न्यूनतम	8.0
(iv)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस(पी2:ओ5 के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	14.0
(v)	भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फोरस (पी2:ओ5केरूपमें) प्रतिशत न्यूनतम	5.0
(vi)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेशियम (के2ओके रूप में)प्रतिशत न्यूनतम	14.0
(vii)	भार के आधार पर कैल्शियम (सीए ओके रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	7.0
(viii)	भार के आधार पर मैग्नीशियम (एमजीओ के रूप में)प्रतिशत, न्यूनतम	2.5
(ix)	कण आकार :	सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।

24. एनपीके 20-8-12

(i)	भार के आधार पर आद्रता प्रतिशत, अधिकतम	2.0
(ii)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन न्यूनतम	20.0
(iii)	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन प्रतिशत न्यूनतम	10.0
(iv)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस (पी2:ओ5 के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	8.0

(v)	भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फोरस (पी2:ओ5 के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	3.0
(vi)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेशियम(के2ओ के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	12.0
(vii)	भार के आधार पर कैल्शियम (सीएओके रूप में)प्रतिशत न्यूनतम(7.0
(viii)	भार के आधार पर मैग्नीशियम (एमजीओके रूप में)प्रतिशत न्यूनतम	4.0
(ix)	भार के आधार पर सल्फेट सल्फर (एसके रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	4.0
(x)	कण आकार :	सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा ।

(ग) उपशीर्षक 1(छ) “सूक्ष्म पोषक तत्व”मे, क्रम संख्याक (9)में,प्रविष्टि (vi) का लोप किया जाएगा;

(घ) उपशीर्षक 1(ज) फोटोफिलिडउर्वरक,-

(i) क्रम संख्या 6, बोरोनेटिडडायमोनियमफॉस्फेटमद (v) में,41.0अंकके स्थान पर 39.5 अंकरखा जाएगा.

(ii) क्रम संख्याक38और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियाँअंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्,-

“39 एनपीके 14:34:14 संपुष्ट जिंक, बोरेन औरमॉलिब्डेनम के साथ

(i)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	1.50
(ii)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (अमोनिकल नाइट्रोजन) प्रतिशत न्यूनतम	14.0
(iii)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस (पी2:ओ5 के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	34.0
(iv)	भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फोरस (पी2:ओ5 के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	30.0
(v)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेशियम(के2ओ के रूप में)प्रतिशत न्यूनतम	14.0
(vi)	भार के आधार पर जिंक (जेडएन के रूप में)प्रतिशत न्यूनतम	0.50
(vii)	भार के आधार पर बोरोन (बी के रूप में)प्रतिशत न्यूनतम	0.20
(viii)	भार के आधार पर मोलिब्डेनम (एमओ के रूप में)प्रतिशत न्यूनतम	0.01

(ix)	भार के आधार पर मुक्त फॉस्फोरिक अम्ल (पी2ओ5 के रूप में), प्रतिशत, अधिकतम	4.0
(x)	कण आकार :	सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा”।

(ड)उप- शीर्षक'1 (ट)'तरल उर्वरक

(i)क्रम संख्या 8,मैग्नीशियम केसाथ फोर्टिफाइड कैल्शियम नाइट्रेट स्पेंशन की मद (vi) में, अंक 8.0-9.0 के स्थान पर 7.0-9.0 अंकरखा जाएगा.

(ii) क्रम संख्या 14 और उसके से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याकौर प्रविष्टियां क्रमशः अंत स्थापित:- : की जाएंगी

“15.पोटेशियम एसीटेट

(i)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेशियम (के 2 ओ के रूप में) न्यूनतम, प्रतिशत	14.0
(ii)	पी एच	6.0-8.0
(iii)	घनत्व (ग्राम/मि.लि)	1.25-1.35
(iv)	भार के आधार पर सीसा (पीबीके रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	0.003
(v)	भार के आधार पर आर्सेनिक (एएसके रूपमें) का प्रतिशत अधिकतम	0.01
(vi)	भार के आधार पर कैडमियम (सीडीके रूपमें) का प्रतिशत अधिकतम	0.0025

16. तरल पोटेशियम कार्बोनेट

(i)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेशियम (के 2 ओ के रूप में) न्यूनतम, प्रतिशत	29.9
(ii)	पी एच (10%)घोल	11.1-13.4
(iii)	घनत्व (ग्राम/एमएल)	1.4-1.6
(iv)	भार के आधार पर सीसा (पीबीके रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	0.003
(v)	भार के आधार पर आर्सेनिक (एएसके रूपमें) का प्रतिशत अधिकतम	0.01
(vi)	भार के आधार पर कैडमियम (सीडीके रूपमें) का प्रतिशत अधिकतम	0.0025”

(ii) भाग ख में, शीर्षक "पादप पोषक तत्व में सहन सीमा तथा विभिन्न उर्वरकों के लिए और भौतिक परिमाप,-

(क) क्रम संख्याक 1 में, "100 प्रतिशत जल में विलेय मिश्रित उर्वरकों" अंको और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्याक 3 के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"3 अनुकूलित उर्वरकों, फोर्टिफाइडउर्वरक, 100 प्रतिशत जल में विलेय मिश्रित उर्वरक, तरल उर्वरक और लाभकारी उर्वरक के लिए:-

(i) प्राथमिक पोषक तत्व (एनपीके) के लिए पोषक तत्व स्तर प्रतिशता-प्रत्येक पोषक तत्व के लिए 0.5 इकाई

(ii) द्वितीयक पोषक तत्व (सीए, एमजी और एस) और लाभकारी तत्व के लिए-प्रत्येक पोषक तत्वका 10% या 0.5 इकाई, जो भी कम हो

(iii) सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए-प्रत्येक पोषक तत्व का 10% या 0.5 इकाई, जो भी कम हो

सभी संयुक्त पोषक तत्वों के अधिकतम 7.5 प्रतिशत के अधीन रहते हुए

(ख) अनुसूची 4 के, भाग क में, "जैविक उर्वरक शीर्षक ", क्रम 9 और क्रम 10, का लोप किया जाएगा;

4. उत्तरादेशमें,-

(क) प्ररूप 'ज' में,-

(i) "और 28 1 (खघ)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "28(1) (खघ) और (खड)" अंक, कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

(ii) "जैविक-उर्वरक" शब्दों के पश्चात, "/अखाद्य तेल-रहित खली/कार्बनिक कार्बन वर्धक जैव उर्वरक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. प्ररूप 'ट' में, "जैविक-उर्वरक" शब्द के पश्चात, "/अखाद्य तेल-रहित खली/कार्बनिक कार्बन वर्धक जैव उर्वरक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. प्ररूप-1 में, 'जैविक उर्वरक' शब्दों, के पश्चात् जहां कहीं भी आते हैं, कार्बनिक कार्बन वर्धक" रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2-2/2024-उर्वरक विधि]

फ्रैकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण :मूल आदेश भारत के राजपत्र में स. का. मि. संख्या 758 (अ) तारीख 25 सितम्बर 1985 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनमें अंतिम बार क.आ. 4533 (अ) तारीख 30 नवम्बर 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 3rd December, 2025

S.O. 5575(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Twelfth Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said order,-

(a) in clause 2,in sub-clause (q), after item(ix), the following item shall be inserted ,namely,-

“(x)in relation to an Organic Carbon Enhancer derived from Compressed Biogas plants included in Schedule VIII , the standard set out under the respective column of the said Schedule;”;

(b) In clause 28, in sub-clause (1), after entry (bd) ,the following entry shall be inserted, namely:-

“(be) draw samples of any Organic Carbon Enhancer in accordance with the procedure of drawal of samples laid down in Schedule VIII:

Provided that the Inspector shall prepare a sampling details in duplicate in Form J and hand over one copy of the same to the dealer or his representative from whom the sample has been drawn;”;

(c) In clause 29,-

(i) in sub-clause (1C), for the word and letter "Part C", the word and letter 'Part D" shall be substituted

(ii) after sub- clause (1C), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(1D) Organic Carbon Enhancer samples, drawn by an Inspector, shall be analysed in accordance with the procedure contained in Part C of Schedule VIII in the Regional Centre of Natural and Organic Farming at Bengaluru,Bhubaneshwar,Gaziabad, Imphal, Jabalpur, Nagpur and Panchkula or in any laboratory notified by the Central Government and State Government.”;

(d) in clause 29 AB, in the opening portion,-

(i) for the words “and non edible de-oiled cake fertilisers,” the words “nonedible de-oiled cake and Organic Carbon Enhancer derived from Compressed Bio Gas units ” shall besubstituted;

(ii) for the words,brackets, figure and letter " and (1 B)",the ,brackets, figures,letters and word"(1B) and (1D) of clause 29" shallbe substituted;

(e) In clause 29 D,-

(i) in the marginal heading, after the words “Organic Fertiliser”, the words "and Organic Carbon Enhancer derived from Compressed Bio Gas plants “shall be inserted;

(ii) in sub-clause 1,-

(A) for the words,figures ,brackets and letter “clause 29 (1 A)”, the words, brackets, figures, and letters “sub-clauses (1B) and (1D)” of clause 29” shall be substituted.

(B) after the words“Organic fertiliser”, the words“ OrganicCarbon Enhancer from Compressed Bio Gas plants” shall be substituted;

(f) in clause 30,

(i) in sub-clause (1), for the words “and non- edible de-oiled cake fertilizer ”, the words “ ,non-edible de-oiled cake and Organic Carbon Enhancer derived from Compressed Bio Gas plants”shall be substituted;

(ii) in sub-clause 2, in item (b) , after the words "Organicfertiliser", the words “ ,non edible de-oiled cake and Organic Carbon Enhancer derived from Compressed Bio Gas plants” shall be inserted;

(iii) in sub-clause (8), for the words “three days” , the words “three working days” shall be substituted.

3. in the said Order,-

(a) in Schedule I, -

(i) PART A , in heading “SPECIFICATIONS OF FERTILISER”,-

(A) in sub-heading “1 (a) STRAIGHT NITROGENEOUS FERTILISERS”, after serial number 12

and the entries relating thereto, the following serial numbers shall beinserted, namely:-

“13. Urea- N-(n butyl) thiophosphorictriamide (NBPT)

(i) Moisture per cent.. by weight ,maximum	0.50
(ii).Total Nitrogen per cent. by weight minimum	46.0
(iii) Biuret content per cent. by weight, maximum	1.42
(iv) N-(nbutyl) thiophosphorictriamide (NBPT) in ppm by weight, minimum	600-900
(v)Particle Size:- Minimum 80 per cent. of the material shall be retained between 1mm and 2.8 mm IS sieve.”;	

(B) in sub-heading “1 (f) N .P.K. COMPLEX FERTILISERS”,-

(I) In serial number 21 Urea-Single Superphosphate, in item (iii), for the word“maximum”, the word “minimum” shall be substituted;

(II) after serial number 21 and the entries relating there to , the following serialnumbers shall be inserted, namely:-

“22.NPK 14:05:21

(i)	Moistureper cent. by weight,maximum	2.0
(ii)	Total Nitrogen per cent. by weight, minimum	14.0
(iii)	Ammonical Nitrogen per cent. by weight, minimum	7.0
(iv)	Available Phosphorus (as P ₂ O ₅)per cent. by weight,minumum	5.0
(v)	Water Soluble phosphorus (as P ₂ O ₅), per cent. by weight, minimum	1.0
(vi)	Water Solublepotassium(as K ₂ O), per cent. by weight, minimum	21.0
(vii)	Sulphate Sulphur, per cent. by weight, minimum	4.0
(viii)	Calcium as (CaO) per cent. by weight, minimum	7.0
(ix)	Magnesium (as MgO) per cent. by weight, minimum	4.0
(x)	Particle Size minimum 90 percent. of material shall be retained between 1mm and 4 mm IS sieve.	

23.NPK 14:14:14

(i)	Moisture per cent. by weight,maximum	2.0
(ii)	Total Nitrogen,per cent. by weight,minimum	14.0
(iii)	Ammonical Nitrogen, per cent. by weight, minimum	8.0
(iv)	Available phosphorus (as P ₂ O ₅), per cent. by weight, minimum	14.0
(v)	Water Soluble phosphorus (as P ₂ O ₅),per cent. by weight, minimum	5.0
(vi)	Water Soluble K ₂ O, per cent.byweight, minimum	14.0
(vii)	Calcium as (CaO) per cent. byweight minimum	7.0
(viii)	Magnesium (as MgO) per cent. byweight, minimum	2.5

Particle Size minimum 90 per cent.ofmaterial shall be retainedbetween 1mm & 4 mm IS sieve

24. NPK 20-8-12

(i)	Moisture per cent. by weight,maximum	2.0
(ii)	Total Nitrogen, per cent. by weight,minimum	20
(iii)	Ammonical Nitrogen, per cent.byweight, minimum	10.0
(iv)	Available phosphorus (as P ₂ O ₅),per cent. by weight,minumum	8.0
(v)	Water Soluble phosphorus (as P ₂ O ₅),per cent.byweight, minimum	3.0
(vi)	Water Soluble potassium (as K ₂ O), per cent.byweight, minimum	12.0

(vii) Calcium as (CaO) per cent. by weight minimum	7.0
(viii) Magnesium (as MgO) per cent. by weight, minimum	4.0
(ix) Sulphate Sulphur, per cent. by weight, minimum	4.0
(x) Particle Size minimum 90 percent. of material shall be retained between 1mm and 4 mm IS sieve."	

(C) in sub-heading "1(g), MICRONUTRIENTS", in serial number 9, the entry(vi) shall be omitted;

(D) in sub-heading "1(h) FORTIFIED FERTILISERS",-

(I) in serial 6, "Boronated Diammonium Phosphate", in entry (v), for the figures "41.0", the figures "39.5" shall be substituted;

(II) after serial number 38 and the entries relating thereto, the following serial numbers shall be inserted, namely:-

"39. NPK 14:34:14 fortified with Zinc,Boron and Mo

(i) Moisture per cent. by weight maximum	1.50
(ii) Total Nitrogen in ammonical form per cent. by weight minimum	14.0
(iii) Available Phosphorous (as P ₂ O ₅) per cent. by weight minimum	34.0
(iv) Water soluble Phosphorous (as P ₂ O ₅) per cent. by weight	30.0
(v) Water soluble Potassium (as K ₂ O) per cent.. by weight minimum	14.0
(vi) Zinc (as Zn) per cent..by weight minimum	0.50
(vii) Boron (as B) per cent. by weight minimum	0.20
(viii) Molybdenum (as Mo) per cent. by weight minimum	0.01
(ix) Free phosphoric acid (as P ₂ O ₅) per cent. by weight maximum	4.0
(x) Particle Size Minimum 90per cent. of thematerial shall retainbetween through 1.0mm IS sieve and 4mmIS sieve.";	

(E) in sub-heading "1 (k) Liquid Fertilizers" , -

(I). in serial number 8, Calcium Nitrate fortified with Magnesium (Suspension) in item (vi), for the figures "8.0-9.0" the figures "7.0-9.0" shall besubstituted;

(II) after serial number 14 and the entries relating there to, the following serialnumbers shall be inserted, namely:-

"15.Potassium Acetate

(i) Water soluble Potassium (as K ₂ O) per cent..by weight, minimum	14.0
(ii) pH	6.0-8.0
(iii) Density gm/ml	1.25-1.35
(iv) Lead as (Pb) per cent. by weight,maximum	0.003
(v) Arsenic (as As) percent. by weight,maximum	0.01
(vi) Cadmium (as Cd) per cent. by weight,maximum	0.0025

16. Liquid Potassium Carbonate

(i) Water soluble Potassium (as K ₂ O) per cent. by weight, minimum	29.9
(ii) pH (10 % solution)	11.1-13.4
(iii) Density gm/m	1.4-1.6
(iv) Lead as (Pb) per cent. by weight,maximum	0.003
(v) Arsenic (as As) percent. by weight,maximum	0.01

- (vi) Cadmium (as Cd) per cent. by weight, maximum 0.0025."
- (ii) in Part B, in heading "Tolerance limit IN PLANT NUTRIENT AND PHYSICAL PARAMETERS FOR VARIOUS FERTILISERS",-
- (A) in serial number 1, the figures and words "100 per cent. Water Soluble Mixtures of Fertilisers" shall be omitted;
- (B) For serial number 3 and the entries relating there to, the following serial number shall be substituted, namely:-

"3. For Customised fertilisers, fortified fertiliser, 100 per cent. Water Soluble Mixture of fertiliser, liquid fertiliser and beneficial fertiliser:-

- (i) Nutrient level percentage for primary nutrient (NPK)- 0.5 units for each nutrient
 - (ii) For secondary nutrient (Ca, Mg, S) and beneficial element -10% of each nutrient or 0.5 unit whichever is less
 - (iii) For micronutrients- 10 % of each nutrient or 0.5 unit whichever is less subject to maximum of 7.5 percent. of all combined nutrients.";
- (b) i in schedule IV, in Part A, in heading "SPECIFICATIONS OF ORGANIC FERTILISERS", the serial 9 and serial 10, shall be omitted;

4. In the said Order,-

(a) in form 'J',-

- (i) for the word, figures, brackets and letters "and 28 1 (bd)", the figures, brackets, letters and word "28(1)(bd) and (be)" shall be substituted;
- (ii) after the word BIO-FERTILISER, the words "/ Non-edible de-oiled cake/Organic Carbon Enhancer / Biostimulant" shall be inserted;
- (b) In FORM 'K', after the word "BIO-FERTILISER", the words "/ Non edible de-oiled cake/ Organic Carbon Enhancer / biostimulant" shall be inserted;
- (c) In FORM L-1, after the words "Organic fertilizer", wherever that occur, the words "/Organic Carbon Enhancer" shall be inserted.

[F. No. 2-2/2024 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note:-The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide G.S.R number 758 (E) dated the 25th September, 1985 and was last amended, vide number SO4533 (E) dated, 30th September, 2025